

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

इमिती वादी

बनाम विरगु

क्र 5539

वाद / प्रा0प0 / अपील

प्र0सं0 27/17/15

वाद जौच वाद / प्रा0प0 / अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर
हकर विधिगत प्रक्रियानुसार विपक्षीगणो / अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना
करके हुं आवली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 11.10.17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

11.10.17
पचावली पेशा व वीलवादी उपारिपत /
प्रतिवादीगणों को नोडिस तामिल होकर प्राप्त
जही पुनः तलवाना सम्मन नोडिस पेश कर
पचावली दिनांक 29.11.17 को पेश हो।

29.11.17
पचावली पेश उभयपक्ष
उपस्थित / कीटासीन अधिकार जी
आज दिनांक 24.11.17 को पचावली
दिनांक 24.11.17 को पेश हो।
श.ज
आदेश से रीडर

24.11.18
पचावली पेश उभयपक्ष
उपस्थित / कीटासीन अधिकार जी
अल्प वापस दिनांक 25.11.18 को पचावली
दिनांक 25.11.18 को पेश हो।
श.ज
आदेश से रीडर

31.5.18
पचावली कोर्ट केस हमीरगढ पर पेश
वादीगणों व प्रतिवादी सुनवाई उपारिपत, बाद पत्र
के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हमीरगढ
में रिपत आराजा नम्बर 3265 शकवा 09
खरना एवं आराजा नम्बर 3266 शकवा

वादी केस
क. 10/13/22



शब्दका ०१ बिरवा आ. नं ३२६७ शब्दका
१४ बिरवा आ. नं ३२६७ शब्दका
में वादीपा का नाम शांता देवी दर्ज होने
की जानकारी जमावंदी का नक्का लेंच
पर जानकारी हुई थी वादीपा का नाम
वादी देवी के बजाय शांता देवी दर्ज
होने की जानकारी हुई। अतः उपर
आराजी नम्बर के शब्दों में शांता देवी
के बजाय वादी देवी दुरुस्त किया
जावे।

वादीपा का बंद बाद पत्र में परसुत
दस्तावेजों का अब लगेवत विद्यमान।

आदेश

वादीपा का बाद शब्दीकार कार लक्ष्मणदा
हमीरगढ़ का आदेश दिया जाता है कि
ग्राम हमीरगढ़ के आराजी नम्बर ३२६५,
३२६६, ३२६७ में वादीपा का नाम शांता देवी
के बजाय वादी देवी लिखा जावे
डिक्की जारी हो। शब्दों कारेके अफला
अपना वेहन करे

आज दिनांक ३१.५.१४ को लिखाप
वादी का नम्बर ३२६५ हमीरगढ़ में करे आस
सुनाया गया।

पत्रावली पैगल शुमार हेक्टर
नम्बर में काम हो।

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलेक्टर

हमीरगढ़

मूल बाद में डिक्री
 (आदेश 20 के नियम 6 और 7)
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं प्रदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ
 पीठासीन अधिकारी:- रामावतार, आर0ए0एस0

कोर्ट के मध्य हमीरगढ

उनवान

श्रीमती ~~बाँदी~~ पत्नी शैवलाल नाई सि. हमीरगढ
 खनाम वादीय

1. राजरपाल राज्य जारिपे ल इस्मीलदार हमीरगढ
2. विष्णु पुत्र शैवल लाल नाई
3. प्रकाश पुत्र
4. कृष्ण कुमार पुत्र
5. गीता देवी पुत्री

प्रतिवादीय

दावा बाबत 88, 89 राज. ले. एक्ट

मुकदमा नम्बर :- 27/17

निर्णय दिनांक :- 31.5.18


वादी की ओर से 34 की व प्रतिवादी की ओर से 45 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 31.5.18 को (नाम पीठासीन अधिकारी) रामावतार, आर0ए0एस0 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

ल इस्मीलदार हमीरगढ को आदेश दिया जाता है कि, ग्राम हमीरगढ के आशजा नम्बर 3265, 3266, 3267 में वादीय का नाम शांता देवी के खजाय बाँदी देवी लिखा जावे।

इर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 31.5.17
नाकर दी गई।

को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा


पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

पदेन सहायक कलक्टर सहायक कलक्टर हमीरगढ़

हमीरगढ़